



एग्री आर्टिकल्स

(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)

वर्ष: 04, अंक: 01 (जनवरी-फरवरी, 2024)

www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध

© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एन.: 2582-9882

इन कृषि उपकरणों पर सरकार दे रही भारी अनुदान,

इस तरह करें आवेदन और पाये लाभ

(सुमित कुमार यादव)

प्रसार शिक्षा विभाग, राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान) 313001

संवादी लेखक का ईमेल पता: svadav12150@gmail.com

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक खास स्थान है। लेकिन भारत के किसानों को आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है। किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार की तरफ से किसानों के लिए कई तरह की योजना शुरू की गई हैं। लेकिन शासन प्रणाली के लचर स्वभाव की वजह से ज्यादातर किसान भाई सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। क्योंकि उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में पता ही नहीं होता।

वर्तमान सरकार द्वारा किसान भाइयों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिनके माध्यम से सरकार किसान भाइयों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान कर रही है। वर्तमान में सरकार द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद को लेकर उपक्रम चलाया जा रहा है। जिसके माध्यम से सरकार किसान भाइयों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान प्रदान करती है। ताकि किसान भाई अपनी खेती के लिए आवश्यक यंत्रों की खरीद आसानी से कर सकें।

कृषि उपकरणों पर अनुदान

कृषि यंत्रों की खरीद पर मिलने वाले अनुदान के उपक्रम को केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर चला रही हैं। जिसके माध्यम से अलग अलग राज्यों में सरकार द्वारा तय मानकों के आधार पर अनुदान राशि का भुगतान किसान भाइयों को किया जाता है। इस उपक्रम के माध्यम से सरकार किसानों की अलग अलग कृषि यंत्रों पर 40 से 80 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान करती है। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से इस उपक्रम के बारे में जानकारी देने वाले हैं।

कैसे मिलेगा लाभ

इस उपक्रम के माध्यम से योजना का लाभ सरकार द्वारा निर्धारित मानको का पालन करने वाले किसान भाई ही ले सकते हैं। इसके लिए अलग अलग राज्यों के किसान भाइयों को कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर सरकार द्वारा निर्धारित समय के आधार पर आवेदन करना होगा। उसके बाद अपने जिला के कृषि अधिकारियों के पास जाकर अनुदान राशि की पात्रता की एप्लीकेशन देनी होगी। अगर आप किसी भी राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं।

अनुदान योग्य कृषि यंत्र

किसान भाइयों को इस उपक्रम के माध्यम से कई कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलता है। जिनमें कल्टीवेटर, अहरू, ड्रिल मशीन, थ्रेसर, टैक्टर, दवाई छिडकने की मशीन, फर्टिलाइजर ड्रिल, पैडी राइस ट्रांसप्लान्टर, रेज्डबेड प्लांटर, हैप्पी सीडर, श्रेडर, स्वचालित रीपर, स्ट्रॉ रीपर, पंप, सिंप्रिकलर, ड्रिप सिस्टम, पाइपलाइन, रेनगन, फंवारा, रेज्डबेड प्लांटर विथ इंकलनेड प्लेट एंड शेपर, रोटावेटर, मल्चर, ट्रेक्टर चलित रीपर कम बाइंडर और लेजर लैंड लेवलर जैसे और भी कई उपकरण शामिल हैं। जिन पर 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है।

अनुदान के पात्र किसान

1. अनुदान के आवेदन करने वाले किसान भाई के नाम खुद की जमीन होनी चाहिए।
2. पहले आओ पहले पाओ वरीयता के आधार पर सभी श्रेणी के किसानों को उचित अनुदान प्रदान किया जाएगा।
3. बीपीएल, महिलाओं, सीमांत, छोटे और मध्यम वर्गीय किसान को वरीयता प्रादान की जायेगी।
4. टैक्टर चालित यंत्रों पर अनुदान लेने के लिए टैक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम होना चाहिए।
5. एक किसान एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम तीन यंत्रों पर अनुदान प्राप्त कर सकता है। जो राजस्थान के किसानों के लिए हैं। जबकि अलग अलग राज्यों में इसकी सीमा अलग अलग है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

अनुदान राशि को लेने के लिए पात्र किसान भाइयों को पहले आवेदन करना होता है। जिसके लिए कुछ सामान्य दस्तावेज हैं, जिनकी जरूरत लगभग सभी राज्यों में होती है। लेकिन कुछ अन्य और भी दस्तावेज की आवश्यकता होती है। जिनकी जानकारी आप अपने नजदीकी कृषि अधिकारी से ले सकते हैं।

1. किसान भाई द्वारा ऑनलाइन भरवाया गया आवेदन पत्र।
2. किसान भाई द्वारा स्व-हस्ताक्षरित किये गए बिल की प्रति।
3. आधार कार्ड की एक प्रति।
4. अनुदान क्लेम विभाग के स्थानीय कर्मियों या अधिकारियों के द्वारा प्रमाणित हुआ सब्सिडी के योग्य प्रमाण पत्र।
5. बैंक पास बुक।
6. किसान की खुद की पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज।

आवेदन कैसे करें

कृषि उपकरणों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए किसान भाई को सरकार द्वारा जारी की गई वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। आवेदन करने के बाद किसान भाइयों को आवेदन की एक कॉपी मिलती है। जिसे किसान भाई को कृषि अधिकारियों को उक्त दस्तावेजों की कॉपी के साथ देना पड़ता है। आवेदन के दौरान किसान भाई को उक्त बताये सभी दस्तावेजों की प्रति देनी अनिवार्य है।

सब्सिडी देने का प्रावधान

चयनित किसानों को सब्सिडी का लाभ अलग अलग राज्यों की सरकार द्वारा जारी किये गए दिशा-निर्देशों के आधार पर जारी किया जाता है। सब्सिडी के माध्यम से खरीदे गए उपकरणों की खरीद के लिए पहले किसान भाइयों को पूरे रुपये जमा करने पड़ते हैं। जिसके बाद सरकार की तरफ से सब्सिडी का लाभ किसानों को मिलता है। बात करें राजस्थान राज्य के बारे में तो राजस्थान में सिर्फ उन्ही कृषि उपकरणों पर सब्सिडी या अनुदान मिल पाटा है। जिन्हें कृषि यंत्र अधिकृत, पंजीकृत केवीएसएस, या जीएसएस से द्वारा खरीदा हो।

सब्सिडी के लिए कब तक आवेदन कर सकते हैं

कृषि उपकरणों की खरीद करने के बाद किसान भाइयों को अनुदान राशि लेने के लिए संबंधित विभाग में जल्द से जल्द आवेदन कर देना चाहिए। क्योंकि अनुदान राशि का भुगतान केवल वित्तीय वर्ष में ही किया जाता है। इसमें अधिक देरी होने पर किसान भाइयों को अनुदान राशि से हाथ धोना भी पड सकता है।

अनुदान राशि का भुगतान

किसान भाइयों को कृषि यंत्रों पर मिलने वाली अनुदान राशि का भुगतान सीधा उनके बैंक खाते में किया जाएगा ताकि भुगतान की पारदर्शिता बनी रहे।